



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2009/भाद्र 17, 1931

No. 506]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009/BHADRA 17, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 647(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधानिक निकाय प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
(1) उप नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400- 67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

12

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) (i)* किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव ; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी

यदि विभागीय प्रोवन्ति समिति है तो उसकी संरचना	13	14	विभागीय प्रोवन्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-
यहाँ करने में किन परिस्थितियों में संश्लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अध्यक्ष सदस्य सदस्य 3. अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर का एक अधिकारी	14	विभागीय प्रोवन्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव ; या

(iii) विज्ञान या कम्प्यूटर उपयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या 'बी' स्तर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अधिकृत पाठ्यक्रम (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) या समतुल्य के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव ; या

(iv) विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स में पी.एच.डी. के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव ; और

(v) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।**

* उपरोक्त डिग्रीयों निम्नलिखित विषयों में वांछनीय है :-

कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और संसार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिक और अकम्प्यूटरीय विज्ञान और ऐसी अन्य विषय ।

** सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सुसंगत अनुभव से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक में विशेषतः प्रणालियों का डिजाइन, विकास, कर्मचारीयन और या नीति-निर्धारण है :-

-- ई-गवर्नन्स समन्वयन

-- ई-गवर्नन्स उपयोग की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षित वेब सेवाएँ, क्लाउड भोवसर इंटरफेस आदि

-- पब्लिक कुंजी सांकेतिक लेखनविद्या की जानकारी, जिसके अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण भी है

-- नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रौद्योगिकी की जानकारी, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मानकों की जानकारी भी है ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आगमन वह सम्यक् रूप से गठित वयन समिति की सिफारिश के परवर्त पदधेशी में स्थायी रूप से आमोदित हो सकेंगे । ऐसा स्थानांतरण केवल केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

विभाग 1--प्रतिनिधित्व की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उच्च या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस निर्युक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काठर बाह्य पद पर प्रतिनिधित्व की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

विभाग 2--प्रतिनिधित्व पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छद्मन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

युगपद सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अधिष्ठित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं ।

1	2	3	4	5	6
(2) उप नियंत्रक (वित्त और विधिक)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण (आमेदन) द्वारा

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) (i) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री और चार्टर्ड एकाउंटेंसी या लागत और लेखा संकर्म संस्थान या कंपनी सचिव या कारोबार प्रशासनजन प्रशासन स्नातकोत्तर या वाणिज्य स्नातकोत्तर या वित्तीय प्रशासन में डिप्लोमा के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।</p> <p>(ii) वांछनीय अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और</p> <p>(ग) (i) वित्तीय मामलों के क्षेत्र में, जिसमें विधिक मामलें प्रमुख हो, पन्द्रह वर्ष का विधिक व्यवसाय अनुभव ; और</p> <p>(ii) कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव और ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य जैसे विधिक मामलों या ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित है ।</p> <p><u>स्थानान्तरण</u> : स्थानान्तरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पदश्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानान्तरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।</p> <p><u>टिप्पण 1</u>--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><u>टिप्पण 2</u>--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए</u> :</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं ।</p>

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	सदस्य
3. अपर सचिव, विधि मंत्रालय	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(3) उप नियंत्रक (अन्वेषण)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री, कम्प्यूटर और कार्यक्रमों, नेटवर्किंग और इंटरनेट पर कार्य करने की जानकारी और विधि स्नातक या साइबर विधि और अन्य संबंधित विधियों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।</p> <p>(ग) (i) कार्मिक, प्रशासन, अन्वेषण, सतर्कता में पन्द्रह वर्ष का अनुभव, और</p> <p>(ii) साइबर अपराधों के अन्वेषण में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव सम्मिलित है ।</p> <p><u>स्थानान्तरण</u> : स्थानान्तरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएका वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद या श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानान्तरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।</p> <p>टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	सदस्य
3. अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(4) सहायक नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	2* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य	8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12
प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
(ख) आवश्यक अर्हताएं (ii)* किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेरह वर्ष का अनुभव ; या

- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव ; या
- (iv) विज्ञान या कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या 'बी' स्तर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अधिकृत पाठ्यक्रम (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) या समतुल्य के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेरह वर्ष का अनुभव ; या
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।**

* उपरोक्त डिग्रीयों निम्नलिखित विषयों में वांछनीय है :--

कम्प्यूटर इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रंगार इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिक और अकादमिक विज्ञान और ऐसी अन्य विषय ।

** सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सुसंगत अनुभव से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक में विशेषतः प्रशिक्षण का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और या नीति-निर्धारण है :--

- इं-वाणित्य उपयोजन की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षित वेब सेवाएं, क्लाउड भोवसर इंटरनेट आदि
- पब्लिक कुंजी सांकेतिक लेखनविद्या की जानकारी, जिसके अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण भी है

-- नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रौद्योगिकी की जानकारी, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय टूरसंबार संघ मानकों की जानकारी भी है ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आपणा वह सम्यक् रूप से गठित वयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पदक्षेपी में स्थायी रूप से आमंत्रित हो सकेंगा । ऐसा स्थानांतरण केवल केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काहर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आबेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छपन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यूतपद सीनिकों के लिए :
सशरन बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं ।

13	विभागीय प्रोविसि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- (i) प्रमाणन प्राधिकरण निधनक/अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ii) महानिदेशक (भारतीय कम्प्यूटर आपात अर्थिकीया दल) या समतुल्य (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से संयुक्त सचिव, भारत - सदस्य सरकार अथवा इसके समतुल्य स्तर का एक अधिकारी
14	लागू नहीं होगा

1	2	3	4	5	6
(5) सहायक नियंत्रक (वित्त और विधिक)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) (i) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री और चार्टर्ड एकाउंटेंसी या लागत और लेखा संकर्म संस्थान या कंपनी सचिव या कारोबार प्रशासनजन प्रशासन स्नातकोत्तर या वाणिज्य स्नातकोत्तर या वित्तीय प्रशासन में डिप्लोमा के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।</p> <p>(ii) वांछनीय अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और</p> <p>(ग) (i) विधिक व्यवसाय में तेरह वर्ष का अनुभव और वित्तीय मामलों के क्षेत्र में, जिसमें विधिक मामलें प्रमुख हो, अनुभव ; और</p> <p>(ii) कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव और ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य जैसे विधिक मामलों या ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित है ।</p> <p><u>स्थानान्तरण</u> : स्थानान्तरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद/श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानान्तरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।</p> <p><u>टिप्पण 1</u>--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><u>टिप्पण 2</u>--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए</u> :</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं ।</p>

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
i) प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक/अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
ii) महानिदेशक (भारतीय कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल) या समतुल्य	सदस्य
iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(6) सहायक नियंत्रक (अन्वेषण)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री, कम्प्यूटर और कार्यक्रमों, नेटवर्किंग और इंटरनेट पर कार्य करने की जानकारी और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि और अन्य संबंधित विधियों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।</p> <p>(ग) (i) कार्मिक, प्रशासन, अन्वेषण, सतर्कता में तेरह वर्ष का अनुभव, और</p> <p>(ii) साइबर अपराधों के अन्वेषण में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p><u>स्थानान्तरण</u> : स्थानान्तरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद/श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानान्तरण केवल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।</p> <p><u>टिप्पण 1</u>--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और वि अर्हताएं हैं ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
i) प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक/अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
ii) महानिदेशक (भारतीय कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल) या समतुल्य	सदस्य
iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(7) निदेशक (वित्त और प्रशासन)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य	8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12
प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ए अधिकारी--
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
(ii) ऐसे उप सचिव या संयुक्त निदेशक, 7600 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रु0 के वेतन बैंड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।
टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इ नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

1	(8) वैज्ञानिक	5* (2009)	* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) समय के प्रदान के	केंद्रीय सरकार 15600-39100 रु० वेतन बैंड 3 + 7600 रु० ग्रेड वेतन	लगा नहीं होता	6
2					लगा नहीं होता	5
3						4

9	लगा नहीं होता	सीधी मर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति आमंत्रण द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी मर्ती द्वारा ।
10			
11			

12

प्रतिनियुक्ति :- -- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल कादर या विमान में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने 15600-39100 रु0 + 6600 रु0 या समतुल्य के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।

(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी मर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छपन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

13	विमानिय प्रोबति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	1. प्रमाण प्राधिकरण नियंत्रक अध्यक्ष	2. उप नियंत्रक (प्रौद्योगिकी) सदस्य	3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से वैज्ञानिक 'जी' सदस्य
14	लगा नहीं होता			

1	2	3	4	5	6
(9) वैज्ञानिक 'बी'	3* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	15600-39100 रु० वेतन बैंड 3 + 5400 रु० ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8
<p>30 वर्ष तक (इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिलनीय)</p> <p><u>टिप्पण</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री;</p> <p>(ii) भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या इलैक्ट्रानिक्स या अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रानिक्स या रेडियो भौतिकी और इलैक्ट्रानिक्स या अन्य किसी संबद्ध विशेषज्ञता में और या विषय में कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर विज्ञान डिग्री ;</p> <p>(iii) कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम०सी०ए० ।</p> <p>वांछनीय अर्हताएं : विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या पी०एच०डी० ।</p> <p><u>टिप्पण</u> : जिसको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उसे एक वर्ष की अपनी परीक्षा अवधि के दौरान यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा ।</p>

9	10	11
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 9300-34800 रु० + 4600 रु० के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 9300-34800 रु० + 4200 रु० या समतुल्य के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस</p>

पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ।

(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
1. उप नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	अध्यक्ष
2. सहायक नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	सदस्य
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से वैज्ञानिक 'एफ'	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(10) निजी सचिव	4* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' के पद के समतुल्य	9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4800 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

12

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने 9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4200 रु0 ग्रेड वेतन में आशुलिपिक श्रेणी 'सी' या वैयक्तिक सहायक या समतुल्य की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

लागू नहीं होता

- | | |
|--|---------|
| 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक | सदस्य |
| 3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से उप सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य | सदस्य |

1	2	3	4	5	6
(11) वैयक्तिक सहायक	6* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' पद के समतुल्य	9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4200 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

12

प्रतिनियुक्ति :-- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने आशुलिपिक, श्रेणी 'डी' 5200-20,200 रु० वेतन बैंड 1+2400 रु० ग्रेड वेतन में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ।

(ख) कम्प्यूटर प्रचालनों, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मेलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	लागू नहीं होता
1. निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से उप सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(12) सहायक	2* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' पद के समतुल्य	9300-34800 रु० वेतन बैंड 2 + 4200 रु० ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

12	प्रतिनियुक्ति :-- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी-- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सर्व्हा पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी 5200-20,200 रु० वेतन ब्रैंड 1+2400 रु० ग्रेड वेतन में दस वर्ष नियमित सेवा की हो । (ख) कम्प्यूटर प्रचालनी, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मैलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी। टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छपन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
----	--

13	विभागीय प्रवृत्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्रालिकरण निदेशक 2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से उप सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य
14	लागू नहीं होता

1	(13)	आधुनिक	3* (2009)	परिवर्तन किया जा सकता है (i)	समस्त पद के में समूह 'सी' केन्द्रीय सरकार	5200-20200 रु० वेतन ब्रैंड 1 + 2400 रु० ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	5	6
---	------	--------	-----------	------------------------------	---	--	----------------	---	---

7	18-27 वर्ष के बीच । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिलनीय ।	8	(i) शैटुकलेशन । (ii) आधुनिक में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । (iii) कम्प्यूटर प्रचालनी, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मैलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी । टिप्पण : जिसको हिंदी का कार्यालयक ज्ञान नहीं है, उसे दो वर्ष की अपनी परिदीक्षा अवधि के दौरान यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा ।
---	--	---	---

9	10	11
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

12
<p><u>प्रतिनियुक्ति</u> :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी 5200-20,200 रु० वेतन बैंड 1+1900 रु० ग्रेड वेतन में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।</p> <p>(ख) कम्प्यूटर प्रचालनों, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मेलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी ।</p> <p>टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

13	14
<p><u>विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--</u></p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक अध्यक्ष संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से अवर सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य सदस्य 	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1(5)/2005-पर्स-III]
आर. के. मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Information Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2009

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000 and in supersession of the Department of Information Technology, Office of Controller of Certifying Authorities (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Gazetted and Non-Gazetted posts in the Office of Controller of Certifying Authorities, a statutory body under the administrative control of the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (I) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service, admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) Deputy Controller (Technology)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings – (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) (i)* possessing Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with fifteen years experience in the field of Information Technology; or (ii) master's Degree in Engineering or Technology from a recognized University with twelve years experience in the field of Information Technology; or (iii) masters Degree in Science or Computer Applications, 'B' level Department of Electronics Accreditation Course (DOEACC) or equivalent with twelve years

			<p>(iv) Ph.D in Science or Engineering with ten years experience in the field of Information Technology; and</p> <p>(C) minimum two years experience in the field of Information Technology related areas. **</p> <p>* The above degrees are desirable in the following disciplines: Computer Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Computer Science, Physical and Mathematical Sciences and such other related disciplines.</p> <p>** The relevant experience in Information Technology related areas means specifically the design, development, implementation and/or policy formulation of systems in one or more of the following areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-commerce solutions - Security in E-commerce Applications incorporating network security, secure-web services, client browser interface, etc. - Knowledge of public key cryptography including authentication through digital signatures - Knowledge of networking and internet technologies including knowledge of International Telecommunication Union (ITU) standards <p>Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of officers from the Central/State Governments.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Ex-serviceman: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>i) Secretary Department of Information Technology - Chairman</p> <p>ii) Controller of Certifying Authorities - Member</p> <p>iii) An officer of the level of Additional Secretary to the Government of India - Member</p>	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
(2)Deputy Controller (Finance and Legal)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400- 67000 with Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By deputation/ transfer (absorption)	<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings –</p> <p>(A)(i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(B) (i)Essential Qualifications: Possessing Bachelor's degree in any discipline from a recognized University and Chartered Accountancy or Institute of Cost and Works Accountancy or Company Secretary or Master of Business Administration/Public Administration or Master of Commerce or Post Graduate Diploma in any discipline with Diploma in Financial Management.</p> <p>(ii) Desirable Qualification: LLB or Post Graduate Diploma in Cyber Laws from a recognized University, and</p> <p>(C) (i) possessing fifteen years experience in legal practice experience in the field of financial matters with emphasis on legal matters; and (ii) including experience of minimum two years in the field of Finance such as business management, trade, industry, banking or experience in the field of academics in the areas of business management, trade, industry, banking and legal matters such as e-governance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce or experience in the field of academics in the areas or e-governance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce.</p> <p>Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of officers from the Central or State Governments.</p> <p><i>Note 1:</i> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p>

			<p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Ex-serviceman:</p> <p>The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment to such persons.</p>
--	--	--	--

13	14
<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>i) Secretary Department of Information Technology</p> <p>ii) Controller of Certifying Authorities</p> <p>iii) Additional Secretary, Ministry of Law</p> <p>- Chairman</p> <p>- Member</p> <p>- Member</p>	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
(3)Deputy Controller (Investigation)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400- 67000 with Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings:-</p> <p>(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(B) Essential Qualification: Possessing Bachelor's degree in any discipline from a recognized University, knowledge of Computers and programmes, networking and working on Internet and L.L.B. or Post Graduate Diploma in Cyber Laws and other related Laws.</p> <p>(C) (i) possessing experience of fifteen years in Personnel, Administration, Investigation, Vigilance and</p> <p>(ii) Including minimum two years experience of Investigation of Cyber crimes.</p> <p>Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post or grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of officers from the Central or State Governments.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Ex-serviceman:</p> <p>The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.</p>
13			14
<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>i) Secretary - Chairman Department of Information Technology</p> <p>ii) Controller of Certifying Authorities - Member</p> <p>iii) An officer of the level of Additional Member Secretary to the Government of India</p>			Not applicable

3272 GJ/09-4

1	2	3	4	5	6	7	8
(4) Assistant Controller (Technology)	*2(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings -</p> <p>(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(B) Essential Qualification: (i)* Possessing Bachelor's degree in Engineering or Technology with thirteen years experience in the field of Information Technology; or (ii) Master's Degree in Engineering or Technology with ten years experience in the field of Information Technology; or (iii) Masters Degree in Science or Computer Applications or 'B' level Department of Electronics Accreditation Course (DOEACC) or equivalent with thirteen years experience in the field of Information Technology; or (iv) Ph.D in Science or Engineering with eight years experience in the field of Information Technology; and</p> <p>(C) minimum two years experience in the field of Information Technology related areas. **</p> <p>* The above degrees are desirable in the following disciplines: Computer Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Computer Science, Physical and Mathematical Sciences and such other related disciplines.</p> <p>** The relevant experience in Information Technology related areas means specifically the design, development, implementation and/or policy formulation of systems in one or more of the following areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-commerce solutions - Security in E-commerce Applications incorporating network security, secure-web services, client browser interface, etc. - Knowledge of public key cryptography including authentication through digital signatures - Knowledge of networking and Internet technologies including knowledge of International Telecommunication Union (ITU) standards

[Part II - Part 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

1	2	3	4	5	6	7	8
(5) Assistant Controller (Finance and Legal)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings				
			(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700 or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) (i) Essential Qualifications: Possessing Bachelor's degree in any discipline from a recognized University and Chartered Accountancy or Institute of Cost and Works Accountancy or Company Secretary or Master of Business Administration/Public Administration or Master of Commerce or Post Graduate Diploma in any discipline with Diploma in Financial Management. (ii) Desirable Qualification: L.L.B or Post Graduate Diploma in Cyber Laws from a recognized University, and (C) (i) possessing thirteen years experience in legal practice and experience in the field of financial matters with emphasis on legal matters; and (ii) minimum two years experience in the field of Finance such as business management, trade, industry, banking or experience in the field of academics in the areas of business management, trade, industry, banking and experience in Legal matters such as e-governance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce or experience in the field of academics in the areas of e-governance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce.				
			Transfer: Under the provision, transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of officers from the Central/State Governments.				
			Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.				
			Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.				

13				14		
The Departmental Promotion Committee consisting of:				Not applicable		
i) Controller of Certifying Authorities/ Additional Secretary, Department of Information Technology				- Chairman		
ii) Director General (Indian Computer Emergency Response Team) or Equivalent				- Member		
iii) An officer of the level of Joint Secretary to the Government of India or Equivalent from Department of Information Technology/Other Ministry/Department				- Member		
1	2	3	4	5	6	7
(7) Director (Finance and Administration).	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in Central Government.	PB-4, Rs.37400-67000 + Rs.8700 Grade Pay	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
8		9		10		
Not applicable.		Not Applicable.		By deputation or transfer (absorption)		
12		13		14		
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Deputy Secretaries or Joint Directors with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band (PB-3) of Rs.15600-39100 + Rs.7600 Grade Pay.		The Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Controller of Certifying Authorities Chairman. 2. Director General (Indian Computer Emergency Response Team) Member 3. Joint Secretary to the Government of India or Equivalent from Department of Information Technology/Other Ministry/ Department Member		Not Applicable		
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.						
Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.						

<ul style="list-style-type: none"> - Knowledge of public key cryptography including authentication through digital signatures. - Knowledge of networking and internet technologies including knowledge of International Telecommunication Union (ITU) standards. <p>Note : Whoever does not have the working knowledge of Hindi, he or she is required to acquire the same during his or her probation period of one year.</p>			
--	--	--	--

12	13	14
<p>Deputation : Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band (PB-3) of Rs.15600-39100 + Rs.6600 Grade Pay or equivalent; and</p> <p>(b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 8.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Ex-Serviceman: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.</p>	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controller of Certifying Authorities - Chairman. 2. Deputy Controller (Technology). - Member. 3. . Scientist 'G' from Department of Information Technology/ other Ministry/ Department. - Member. 	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7
(9) Scientist 'B'.	3* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in Central Government.	PB-3, Rs.15600-39100 + Rs.5400 Grade Pay	Not applicable.	Not applicable.	Upto 30 years (relaxable for Government servants, Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Champa District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

8	9	10	11
(i) Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with atleast 60 percentage marks in aggregate; or (ii) M.Sc. in Physics or Applied Physics or Electronics or Applied Electronics or Radio Physics and Electronics or any other related specialisation and or discipline atleast 60 percentage marks in aggregate; or (iii)MCA with atleast 60 percentage marks in aggregate. Desirable Qualification: Master's Degree in Science or Technology; or Ph.D. Note : Whoever does not have the working knowledge of Hindi, he or she is required to acquire the same during his or her probation period of one year.	Not Applicable	One Year for direct recruits.	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment.

12	13	14
<p>Deputation :Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 +Rs. 4600 Grade Pay; or (iii) with eight years regular service in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 + Rs. 4200 Grade Pay.</p> <p>(b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 8.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Ex-Serviceman: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.</p>	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Controller (Technology). - Chairman. 2. Assistant Controller (Technology). - Member. 3. . Scientist 'F' from Department of Information Technology/ other Ministry/ Department. - Member. 	<p>Not Applicable</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(10) Private Secretary.	*4 (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in Central Government.	PB-2, Rs.9300-34800 + Rs.4800 Grade Pay	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

10	11	12
Not Applicable.	Deputation/absorption.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade of Stenographer Grade 'C' or Personal Assistants or equivalent in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 + Rs. 4200 Grade Pay. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
The Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Additional Secretary/ Joint Secretary (Personnel), Department of Information Technology - Chairman. 2. Director (Admin. & Finance) Controller of Certifying Authorities. - Member. 3. Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Information Technology/ other Ministry/ Department. - Member.	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(11) Personal Assistant.	*6 (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in Central Government.	PB-2, Rs.9300-34800 + Rs.4200 Grade Pay	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

10	11	12
Not Applicable.	Deputation/absorption.	<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade of Stenographer grade 'D' in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 2400 Grade Pay.</p> <p>(b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of P.C, word processing, internet and e-mailing.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

13	14
<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities. - Chairman. Joint Director (Personnel), Department of Information Technology - Member. Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Information Technology / other Ministry/ Department. - Member. 	Not Applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(12) Assistant	*2 (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in Central Government	PB-2, Rs.9300- 34800 + Rs.4200 Grade Pay	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

10	11	12
Not Applicable.	By deputation/ absorption.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years regular service in the grade of Upper Division Clerk in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 2400 Grade Pay. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
The Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities. - Chairman. 2. Joint Director (Personnel), Department of Information Technology - Member. 3. Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Information Technology / other Ministry/ Department. - Member.	Not Applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Stenographer.	*3 (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in Central Government.	PB-1, Rs.5200-20200 + Rs.2400 Grade Pay	Not Applicable.	Not Applicable.	Between 18-27 years. Relaxable for Government servants, Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	(i)Matriculation. (ii)possessing speed in shorthand @ 80 w.p.m. and 40 w.p.m. in typewriting. (iii)Knowledge of computer operation such as usage and operations of P.C, word processing, internet and e-mailing. Note : Whoever does not have the working knowledge of Hindi, he or she is required to acquire the same during his or her probation period of two year.	Not Applicable.

10	11	12
Two years for direct recruits.	Deputation/ absorption failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Lower Division Clerks in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 1900 Grade Pay with eight years regular service and possessing speed in shorthand @ 80 w.p.m. and 40 w.p.m. in typewriting. (b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of P.C, word processing, internet and e-mailing. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
<p>The Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities. Chairman. 2. Joint Director (Personnel) / Deputy Director (Personnel) from Department of Information Technology - Member. 3. Under Secretary to the Government of India or Equivalent from Department of Information Technology / other Ministry/ Department. - Member. 	Not Applicable.

[F. No. 1(5)/2005-Pers.-III]

R. K. MANCHANDA, Jt. Director